सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत
स्वः प्रकटीकरण

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या - 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

(Particulars of Recipients of Concessions, Permits or Authorizations Granted by the Public Authority)

13.1 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एक विकासात्मक, सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं ग्रामीण अवस्थापना निर्माण से संबंधित लोक प्राधिकरण है।

विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का व्यावसायिक परमिट (Commercial Permit), व्यापारिक लाइसेंस (Commercial License), विनियामक प्राधिकार (Regulatory Authorization), खनन अनुज्ञापत्र, मोटर वाहन परमिट अथवा टोल/चुंगी प्राधिकार निर्गत नहीं किया जाता है (शून्य / लागू नहीं)।

तथापि, शासन द्वारा गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण क्षमता विकास के उद्देश्य से पात्र नागरिकों, कामगारों, स्वयं सहायता समूहों एवं संस्थाओं को कतिपय **कल्याणकारी रियायतें (Welfare Concessions) एवं प्रशासनिक प्राधिकार (Administrative Authorizations)** सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन्य किए जाते हैं:

1. **इंदिरा अम्मा भोजनालय के अंतर्गत रियायती भोजन सुविधा:** समाज के गरीब, असंगठित क्षेत्र के दैनिक मजदूरों, छात्र-छात्राओं एवं निर्धन नागरिकों को खुले बाजार की तुलना में रियायती दर (पर्वतीय क्षेत्रों में ₹25/- तथा मैदानी जनपदों में ₹20/- प्रति थाली) पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ₹10.00 प्रति थाली की दर से राजसहायता (सब्सिडी) विभाग द्वारा वहन की जाती है।

2. **DAY-NRLM के अंतर्गत बैंक ऋण ब्याज उपादान रियायत:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM / USRLM) के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की नियमित अदायगी करने पर 7% से अधिक के संपूर्ण ब्याज की सरकारी प्रतिपूर्ति (ब्याज छूट) विभाग द्वारा सीधे बैंक के माध्यम से की जाती है।

3. **आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण, आवास व भोजन रियायत:** उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (UIRD & PR, रुद्रपुर) तथा राज्य के 08 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों (हल्द्वानी, हवालबाग, थरकोट, गोपेश्वर, शंकरपुर, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रपुर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के जन-प्रतिनिधियों, ग्राम रोजगार सेवकों, महिला समूहों एवं ग्रामीण कारीगरों को शत-प्रतिशत निःशुल्क आवासीय सुविधा, प्रशिक्षण, भोजन, वाचनालय एवं अध्ययन सामग्री की रियायत प्रदान की जाती है।

4. **दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण वितरण प्राधिकार:** सांसद निधि (MPLADS) एवं विधायक निधि के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के अधीन गठित विशेषज्ञ मेडिकल समिति के प्रमाणीकरण के आधार पर पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तथा श्रवण उपकरण शत-प्रतिशत निःशुल्क स्वीकृत एवं वितरित करने का विशेष प्राधिकार अनुमन्य है।

5. **सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बी.पी.एल. (BPL) नागरिकों को विधिक रियायत:** गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले नागरिकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन शुल्क (₹10/-) में पूर्ण छूट तथा प्रथम 50 पृष्ठों तक वांछित सूचनाएं पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त करने का वैधानिक प्राधिकार प्राप्त है।

13.2 प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए पात्रता मानदंड

विभाग द्वारा अनुमन्य कल्याणकारी रियायतों एवं प्राधिकारों के लिए निर्धारित वैधानिक पात्रता शर्तें निम्न प्रकार हैं:

1. इंदिरा अम्मा रियायती भोजन थाली पात्रता:

- **उपभोक्ता पात्रता:** कोई भी निर्धन नागरिक, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, असंगठित क्षेत्र का कामगार, विद्यार्थी अथवा राहगीर जो कैंटीन परिसर में भोजन हेतु उपस्थित होता है, बिना किसी जाति/आय प्रमाण-पत्र की बाध्यता के रियायती भोजन प्राप्त करने हेतु पात्र है।

- **संचालक समूह पात्रता:** कैंटीन संचालन केवल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत गठित एवं न्यूनतम 6 माह से सक्रिय उन महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुमन्य है, जिन्होंने पंचसूत्र का पालन किया हो और रिवाल्विंग फंड प्राप्त कर लिया हो।

2. DAY-NRLM बैंक ऋण ब्याज उपादान (Interest Subvention) पात्रता:

- महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मानकों पर गठित, पंजीकृत एवं श्रेणीकृत (Graded) होना अनिवार्य है।

- समूह द्वारा बैंक से कैश क्रेडिट लिंकेज (CCL) अथवा टर्म लोन लिया गया हो तथा बैंक की मासिक किस्तों/ब्याज की अदायगी समय पर की जा रही हो।

3. UIRD एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में नि:शुल्क प्रशिक्षण व आवासीय रियायत पात्रता:

- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) के निर्वाचित पदाधिकारी।

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े क्षेत्रीय कार्मिक (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक आदि)।

- NRLM के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की पदाधिकारी, आजीविका सखी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं लखपति दीदी पहल से जुड़ी महिलाएं।

- संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) / जिला विकास अधिकारी (DDO) अथवा प्राचार्य (ETC) द्वारा विधिवत नामित प्रतिभागी।

4. दिव्यांगजन सहायक उपकरण प्राधिकार पात्रता:

- ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी जिसके पास सक्षम मेडिकल बोर्ड / मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का वैध प्रमाण-पत्र हो।

- जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा संबंधित उपकरण (व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र आदि) हेतु संस्तुत किया गया हो।

5. सूचना का अधिकार (RTI) बी.पी.एल. रियायत पात्रता:

- भारत का नागरिक जिसके पास सक्षम राजस्व प्राधिकारी (तहसीलदार / खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा जारी वैध बीपीएल राशन कार्ड अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने का प्राधिकृत प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।

13.3 रियायत / अनुदान / परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया

नागरिकों एवं संस्थाओं द्वारा उक्त कल्याणकारी रियायतों एवं प्राधिकारों को प्राप्त करने हेतु विहित पारदर्शी प्रक्रिया निम्नवत है:

1. इंदिरा अम्मा रियायती भोजन थाली प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **कैंटीन काउंटर पर उपस्थिति:** उपभोक्ता सीधे जनपद मुख्यालय/निकाय स्थित 'इंदिरा अम्मा भोजनालय' के बिलिंग काउंटर पर उपस्थित होता है।

2. **रियायती शुल्क भुगतान:** उपभोक्ता द्वारा निर्धारित रियायती दर (पर्वतीय क्षेत्रों में ₹25/- तथा मैदानी जनपदों में ₹20/-) का नकद भुगतान किया जाता है।

3. **कूपन प्राप्ति व भोजन:** काउंटर से क्रमांकित मुद्रित कूपन प्राप्त कर भोजनालय कक्ष में भोजन ग्रहण किया जाता है।

4. **दैनिक पंजिका में अंकन:** भोजनालय संचालक समूह द्वारा दैनिक पंजिका में ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है।

2. DAY-NRLM ब्याज उपादान (Interest Subvention) प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **ऋण आवेदन एवं स्वीकृति:** पात्र स्वयं सहायता समूह अपनी माइक्रोक्रेडिट योजना (MCP) तैयार कर संबंधित बैंक शाखा में ऋण हेतु आवेदन करता है।

2. **ससमय ऋण अदायगी:** समूह द्वारा बैंक से स्वीकृत ऋण की मासिक किस्तों का नियमित भुगतान किया जाता है।

3. **सत्यापन एवं क्लेम:** संबंधित बैंक शाखा द्वारा नियमित खाता संचालन एवं अदायगी का विवरण जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) को प्रेषित किया जाता है।

4. **खाते में क्रेडिट:** यूकेएसआरएलएम (USRLM) द्वारा 7% से अधिक के ब्याज की अंतर धनराशि सीधे समूह के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा क्रेडिट कर दी जाती है।

3. UIRD एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण व आवासीय रियायत प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर:** आयुक्तालय एवं UIRD द्वारा जारी वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार विषयों व तिथियों का निर्धारण।

2. **विभागीय नामांकन:** संबंधित खण्ड विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक (DRDA) द्वारा निर्धारित कोटा के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों एवं महिला समूहों का नामांकन पत्र प्राचार्य (ETC) / अधिशासी निदेशक (UIRD) को भेजा जाता है।

3. **पंजीकरण:** नामित प्रतिभागी संस्थान के स्वागत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण कराते हैं।

4. **निःशुल्क आवंटन:** पंजीकरण होते ही प्रतिभागी को प्रशिक्षण अवधि तक छात्रावास कक्ष, भोजन, वाचनालय तथा अध्ययन किट पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

4. दिव्यांगजन सहायक उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **प्रार्थना पत्र प्रस्तुति:** आवेदक अपना दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न कर विकास खण्ड कार्यालय अथवा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करता है।

2. **तकनीकी परीक्षण:** जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन गठित तकनीकी समिति द्वारा आवेदक का परीक्षण कर उपयुक्त सहायक उपकरण का निर्धारण किया जाता है।

3. **वितरण:** सांसद निधि / विधायक निधि से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने पर सार्वजनिक शिविर/समारोह में चिन्हित लाभार्थियों को उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।

5. आरटीआई बी.पी.एल. रियायत प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **आवेदन प्रेषण:** नागरिक द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र के साथ अपने बीपीएल राशन कार्ड अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाती है।

2. **शुल्क मुक्ति:** लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर ₹10/- आवेदन शुल्क तथा प्रथम 50 पृष्ठों तक प्रतिलिपि शुल्क पूर्णतः शून्य कर वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

13.4 रियायतें / परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता

विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों के प्राप्तिकर्ताओं का वर्गवार एवं संचयी विवरण निम्नवत है:

(क) इन्दिरा अम्मा भोजनालय - रियायत प्राप्तकर्ताओं का विवरण:

- **प्राप्तिकर्ताओं की प्रकृति:** सामान्य जनता, असंगठित क्षेत्र के दैनिक मजदूर, छात्र-छात्राएं एवं निर्धन नागरिक।
- **लाभान्वितों की संचयी संख्या:** राज्य के समस्त 13 जनपदों में संचालित 24 भोजनालयों के माध्यम से अब तक **11,12,845 से अधिक नागरिकों** ने रियायती दर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त किया है।
- **संचालक महिला समूहों का विवरण (कैंटीनवार नाम व पता):**
 1. *जनपद देहरादून:* महिला स्वयं सहायता समूह, कचहरी परिसर / विकास भवन परिसर, देहरादून
 2. *जनपद पौड़ी गढ़वाल:* महिला स्वयं सहायता समूह, बस स्टेशन / विकास भवन, पौड़ी
 3. *जनपद चमोली:* महिला स्वयं सहायता समूह, विकास भवन परिसर, गोपेश्वर, चमोली
 4. *जनपद नैनीताल:* महिला स्वयं सहायता समूह, हल्द्वानी बस टर्मिनल / भीमताल
 5. *जनपद हरिद्वार:* महिला स्वयं सहायता समूह, रोशनाबाद कलेक्ट्रेट / हरिद्वार
 6. *जनपद अल्मोड़ा:* महिला स्वयं सहायता समूह, माल रोड / विकास भवन, अल्मोड़ा
 7. *(अन्य समस्त जनपदों में संचालित 24 कैंटीनों के संचालक समूहों का विस्तृत नाम, अनुबंध पत्र एवं बैंक खाता संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में संधारित है)*

(ख) ब्याज उपादान रियायत प्राप्तकर्ता महिला स्वयं सहायता समूह (DAY-NRLM):

- राज्य के समस्त 13 जनपदों के 95 विकास खण्डों में **23,383 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों** को ₹348.44 करोड़ के बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज की सरकारी रियायत प्रदान की जा चुकी है।
- समस्त समूहों के नाम, सीआईएफ कोड, ग्राम संगठन एवं बैंक खाता विवरण भारत सरकार के पोर्टल nrlm.gov.in तथा राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (USRLM, रायपुर, देहरादून) में सुरक्षित हैं।

(ग) निःशुल्क प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा प्राप्तकर्ता (UIRD एवं 8 ETC):

- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (UIRD, रुद्रपुर) तथा 08 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों (पौड़ी, शंकरपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, थरकोट, गोपेश्वर, हवालबाग, हरिद्वार) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में **9,882 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों, काश्तकारों एवं महिला समूहों** को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं आवासीय रियायत प्रदान की गई।
- इसका बैच-वार, प्रशिक्षण सत्र-वार तथा प्रतिभागी-वार पूर्ण विवरण संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के आगंतुक एवं उपस्थिति पंजिकाओं में संधारित है।

13.5 रियायतें / प्राधिकरण प्रदान करने की तिथि

विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों एवं प्राधिकारों की प्रभावी तिथियां निम्नवत हैं:

क्र. सं.	रियायत / प्राधिकार का प्रकार	प्रारंभ / स्वीकृति की प्रभावी तिथि	संचालन एवं निरंतरता की स्थिति
1.	**इन्दिरा अम्मा रियायती भोजन सुविधा**	**15 अगस्त, 2015** (देहरादून शुभारंभ) शासनादेश दिनांक: **25 अगस्त, 2015**	प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक निरंतर कूपन आधार पर प्रदान की जाती है।
2.	**DAY-NRLM बैंक ऋण ब्याज उपादान रियायत**	**01 अप्रैल, 2013** (योजना प्रारंभ से) वित्तीय वर्ष 2026–27 में निरंतर	बैंक द्वारा त्रैमासिक आधार पर ब्याज क्लेम प्राप्त होने पर नियमित रूप से खातों में समायोजित।
3.	**UIRD एवं 8 ETC निःशुल्क प्रशिक्षण व आवास सुविधा**	**सितंबर, 2002** (UIRD स्थापना) **16 जून, 2004** (8 ETC पुनर्गठन)	वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार निर्धारित बैच तिथियों में निरंतर प्रदान की जाती है।
4.	**दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण प्राधिकार**	**01 अप्रैल, 2023** (संशोधित MPLADS दिशानिर्देश)	जनपद स्तर पर गठित मेडिकल समिति द्वारा सत्यापनोपरांत सार्वजनिक शिविरों में तिथि-वार प्रदत्त।
5.	**सूचना का अधिकार (RTI) BPL निःशुल्कता प्राधिकार**	**12 अक्टूबर, 2005** (अधिनियम लागू होने की तिथि से)	बीपीएल नागरिकों द्वारा आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि पर स्वतः प्रभावी।